राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ26(ए/18)प्रशा./आकाशि/2019/3113 दिंनाकः– 9.4.2019

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय/राजकीय विधि महाविद्यालय,
राजकीय कन्या महाविद्यालय।

विषयः– वर्ष 2020 (02 जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020) में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों (प्राचार्य सहित) भी सूची भेजने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2020 (02 जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020) में आपके महाविद्यालय/कार्यालय में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों (प्राचार्य सहित) की सूचना अलग–अलग (शैक्षणिक/अशैक्षणिक) निम्न प्रपत्र में भरकर इस कार्यालय को दिनांक 31.05.2019 तक ईमेल आईडी jdadmn.cce@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करें। तथा हॉर्ड कापी भी भिजवायें। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लेवें कि आपके महाविद्यालय में वर्ष 2020 में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों (प्राचार्य सहित) का नाम सूची में अंकित करने से वंचित नही रह जावें, तथा **नाम, जन्म, दिनांक का सेवा पुस्तिका से मिलान** के आधार पर ही भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपकी स्वंय की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। उक्त अवधि में यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी स्थानान्तरित/ पदस्थापित होकर आता है तो उसकी सूचना शीघ्र अवगत करावें।

प्रपत्र

क्र.सं.	सेवानिवृत होने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम मय पिता का नाम	पद	जन्म तिथि	अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने भी तिथि	सेवानिवृत होने की तिथि
1	2	3	4	5	6

आरवीआरईएस अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूचना देते समय उनके नाम के आगे आरवीआरईएस लिखा जाना सुनिश्चित करें ताकि सेवानिवृति आदेश जारी करते समय इनके नाम के आगे उक्त शब्द लिखा जा सके।

अधिकारी/कर्मचारी के संबंध में कृपया यह प्रमाण पत्र भी भिजवाये :– "प्रमाणित किया जाता है कि श्री.................................पिता का नाम.......................... पद.................. के विरुद्ध सी.सी.ए नियम 16 नियम 17 में कोई विभागीय जाँच विचाराधीन नही है और न ही प्रस्तावित है। गबन एवं चोरी का मामला विचाराधीन नही है। न ही कोई राजकीय राशि बकाया है।"

ज्ञातव्य रहे कि सेवानिवृति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को छः माह पूर्व प्रेषित करने होते है। **अतः समय का विशेष ध्यान रखे।**

(डॉ. दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

क्रमांक : एफ26(ए/18)प्रशा./आकाशि/2019/3113 दिंनाकः– 9.4.2019

प्रतिलिपि:–

1. संयुक्त निदेशक (एचआरडी), आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर।
2. समस्त सहायक निदेशक क्षेत्रीय, कार्यालय कॉलेज शिक्षा जोधपुर/ उदयपुर/ कोटा/ जयपुर/ बीकानेर/ अजमेर।
3. प्राचार्य, राजस्थान संगीत संस्थान/ राजस्थान स्कुल ऑफ आर्टस् जयपुर।
3. वेबसाईट प्रभारी को साईट पर अपलोड करने हेतु।

(डॉ. दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।